

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक: 20 जुलाई, 2022

आदेश

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संशोधन के सम्बन्ध में।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, संप्रदर्शन, ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित होता है, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को संशोधित किया गया है, जिसे निम्नवत पढ़ा जाये :-

“(xi) जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है”।

पाण्डेय प्रदीप कुमार
20/7/2022
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 3101

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंधित और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

पाण्डेय प्रदीप कुमार
20/7/2022
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 3101